

फोटो प्र.प-उमाशंकरमिश्रा(सचिव) फोटो प्र.प-उमाशंकरमिश्रा (प्रबन्धक/सचिव)



मालिक जायदाद - श्री गौरीशंकर कॉलेज द्वारा सचिव उमाशंकर मिश्रा  
किरायेदार जायदाद - श्री गौरीशंकर एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट द्वारा  
प्रबन्धक/सचिव उमाशंकर मिश्रा  
जायदाद मिश्रा - बीजा कुतुकपुर चन्नीश  
किराया - 30,000/-रुपया प्रति वार्षिक  
मूल्यांकन - 1,80,000/-रुपया टैक्सटाप्प - 7,200/-रुपया  
व्याज - उन्नीस वर्ष न्यारद मोड उन्नीस दिन।

### किरायानामा/लीज डीड

इस कि श्री गौरीशंकर कॉलेज कुतुकपुर चन्नीश फिरोजाबाद द्वारा  
सचिव उमाशंकर मिश्रा (पिन नं-AAUPM83780) पुत्र श्री जितेन्द्र शंकर  
मिश्रा निवासी अर्धिष्ठ पीन सहनील व जिला फिरोजाबाद मालिक प्रथम फा  
व श्री गौरीशंकर एजुकेशनल एण्ड सोशल ट्रस्ट 67 विलक नगर  
फिरोजाबाद द्वारा प्रबन्धक/सचिव उमाशंकर मिश्रा (पिन  
नं-AAUPM83780) पुत्र श्री जितेन्द्र शंकर मिश्रा निवासी अर्धिष्ठ पीन  
सहनील व जिला फिरोजाबाद किरायेदार द्वितीय फा के हैं। विहित हो कि  
एक कित्त जायदाद जिसमें एक भाग 3048.33 वर्गमीटर है जिसमें कई



कमरे आदि विहित है तथा सीमा खुदकुपुर् चर्चीत लक्ष्मी व जिला  
विशेषज्ञाद कि जो माता १०-२०११, २१०/१, २१०/२, २१२, २०६/१ के  
अन्तर्गत है कि जिसका कुल क्षेत्रफल १०१२० वर्गमीटर है जिसकी सीमा पूर्व  
में आराजी बीमारी बीमा मिला आदि परिषद में आराजी जयपाल सिंह पत्नी  
में आराजी दीपक कुमार आदि दक्षिण में आराजी राजेश्वर जी है कि जिसका  
प्रथम पक्ष एकमात्र मरिचक कारिज व इच्छील बजरिये नाम दर्ज राजस्व  
अभिलेखों से है कि जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा अन्य कोई साक्षीदार व  
साक्षीदार नहीं है कि जो प्रथम पक्ष को उपरोक्त जामदार को किसी आदि  
पर उठाने में रोक रोक कर सके। चूंकि उपरोक्त जामदार प्रथम पक्ष के  
किसी प्रयोग में नहीं जा रही है और किरायेदार द्वितीय पक्ष उपरोक्त  
जामदार को बर्जत स्कूल संचालन हेतु ३०,०००/-रुपया प्रति वार्षिक  
किराये पर उन्तीस वर्ष ग्यारह माह उन्तीस दिन के लिए किराये पर लेना  
चाहता है जो प्रथम पक्ष को स्वीकार है तथापि इन दोनों पक्ष पूर्व सोय व  
सम्झौते बिना किसी जरा व थोड़ा व इतना के व बिना किसी नतीली वस्तु  
का सेवन किये हुये स्वस्था मनविल्ल से पूर्ण सहमति से यह किरायेदानामा नीचे  
लिखी शर्तों के अन्तर्गत लक्ष्मी कर रहे हैं कि जिसकी शर्तों को पढ़न्टी इन  
दोनों पक्षों पर एवं कारिसान हमारी पर समान रूप से लागू होती जिसमें इन  
दोनों पक्षों को एवं कारिसान हमारी को कोई एतराज नहीं है और न भविष्य  
में कोई एतराज होगा। १-यहकि प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त जामदार को  
३०,०००/-रुपया प्रति वार्षिक किराये पर उन्तीस वर्ष ग्यारह माह उन्तीस  
दिन के लिए बर्जत स्कूल संचालन हेतु किरायेदार द्वितीय पक्ष को किराये  
पर दी है सभी किरायेदार द्वितीय पक्ष ने किराये पर ली है जो द्वितीय पक्ष  
को स्वीकार है। २-यहकि किरायेदारी जगह का किराया दिनांक ०४-०३-२०२२  
ई० से शुरू होगा जो दिनांक ०२-०३-२०२२ ई० को समाप्त होगा जो दोनों  
पक्षों को स्वीकार है। ३-यहकि किरायेदार द्वितीय पक्ष किरायेदारी जगह का





किरायेदार गरीबों के प्रथम सप्ताह में जख्मदार नालिक प्रथम पक्ष को जमा करेगा जो द्वितीय पक्ष को सीकार है। 4-यदि किरायेदार द्वितीय पक्ष किरायेदारी जगह को किरायेदारी समस्त दिनांक 30-08-2020 ई0 को खाली करके जख्मदार नालिक प्रथम पक्ष को जमा व दरख्त पूर्ण पाक व साफ देगा जो किरायेदार द्वितीय पक्ष को सीकार है और किरायेदारी समस्त सम्पत्त होने के बाद किरायेदार किरायेदारी जगह में किरायेदार को कम में जमाद करना चाहता है तो प्रथम पक्ष को साबती की नये अनुबन्ध की शर्तों के साथ ही किरायेदार को कम में जमाद यह स्तेना अन्वेषा की स्थिति में किरायेदारी जगह को खाली कर कब्जा व दरख्त जख्मदार नालिक प्रथम पक्ष को पूर्ण पाक व साफ देगा जो किरायेदार द्वितीय पक्ष को सीकार है। 5-यदि किरायेदारी जगह की बाका साफ लगाई खर्च एवं अन्य खर्च की जिम्मेदारी व टैक्स आदि की जबाबदारी जख्मदार किरायेदार को किरायेदार द्वितीय पक्ष को होगी जो किरायेदार द्वितीय पक्ष को सीकार है कि जिसका प्रथम पक्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। 6-यदि किरायेदार द्वितीय पक्ष किरायेदारी जगह में कोई किरायेदार नहीं रखेगा जो किरायेदार द्वितीय पक्ष को सीकार है। 7-यदि किरायेदार द्वितीय पक्ष किरायेदारी जगह में कोई अध्यात्मिक कार्य नहीं करेगा और अगर कोई अध्यात्मिक कार्य करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी किरायेदार द्वितीय पक्ष को होगी। 8-यदि किरायेदारी जगह में अपने सुविधानुसार ल्याई / अल्याई निर्माण अपने खर्च से करा सकता है जो प्रथम पक्ष को सीकार है। 9-यदि किरायेदार द्वितीय पक्ष ऊपर लिखी शर्तों का उल्लंघन करता है तो जख्मदार नालिक प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा कि वह एक महीने के नोटिस पर किरायेदारी जगह को किरायेदार द्वितीय पक्ष से वापसी कर सकता है जो किरायेदार

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Page 5 of 6

द्वितीय पक्ष को स्वीकार है। 10-यहकि द्वितीय पक्ष तयान पाठ्यक्रमों की सम्बन्ध में निम्न किन्हीं की संख्या आदि से सीक्रीट डीट के सम्बन्धों को सम्बन्धित कर सम्बन्धित प्राप्त कर सकेगा कि जिसमें प्रथम पक्ष को कोई जामिन नहीं होगी। 11-यहकि ज्वायंट्स गारन्टी प्रथम पक्ष को किरायेदारी जगह की सम्बन्धित किरायेदारी द्वितीय पक्ष से किन्हीं प्रकार की क्षति एवं परेशानी पहुँचती है जो उसकी सम्बन्धित किरायेदारी द्वितीय पक्ष से होगी और ज्वायंट्स गारन्टी प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपना हार्ड व सॉफ्ट क्लेमिन्ट ज्वायंट्स प्रस्तुत कर सकता है कि जिसमें कुछ द्वितीय पक्ष को एवं परिश्रम में ही उसे कोई हस्तक्षेप नहीं है और न बलिष्ठा से कोई हस्तक्षेप होगा। लिहाजा इस दलील पक्षों से यह किरायेदारी सम्बन्धित किरायेदारी के सम्बन्धित हार्ड व सॉफ्ट क्लेमिन्ट प्रस्तुत व मुसकत खरीद कर दिना कि सम्बन्धित ही और समय पर प्राप्त करें।









सदस्यता संख्या 04-07-2022 ई। मंजूर दिनांक 04-07-2022  
नाम: श्री. राजेश कुमार सिंह (पुत्र) जिला: सिद्ध चण्डिका

04-07-2022

सुभाषचंद्र बोस

सुभाषचंद्र बोस



पंजीय नं. 04-07-2022  
सुभाषचंद्र बोस  
सुभाषचंद्र बोस  
सुभाषचंद्र बोस

पंजीय नं. 04-07-2022  
सुभाषचंद्र बोस  
सुभाषचंद्र बोस  
सुभाषचंद्र बोस



सुभाषचंद्र बोस



सुभाषचंद्र बोस



आवेदन सं०- ३४३२७७१३३४७४६

श्री-सत्यजित कुमार शर्मा (सं०) के द्वारा १९९० से १९९५ तक का काल  
का १९९० दिनांक ०५/०१/१९९० को प्रतिष्ठित किया गया।

संस्कृत-विभागाध्यक्ष, संस्कृत-विश्वविद्यालय, दिल्ली-११००६७



सत्यजित कुमार शर्मा  
संस्कृत-विश्वविद्यालय  
दिल्ली-११००६७

